बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................../पटना, दिनांक..

03/सह॰ब॰यो॰(आवंटन)–02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत सब्जी संघ में सम्बद्ध कुल 386 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) में से इच्छुक एवं चयनित PVCS में कुल 3060 एकड़ भूमि पर हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं पायलट आधार पर ओल (सूरन) उत्पादन करने हेतु हाइब्रिड किस्म के बीज के क्रय पर होने वाले व्यय रू० 4,21,37,000/– एवं हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं पायलट आधार पर ओल (सूरन) के उत्पादन में संलग्न सदस्य किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय रू० 62,40,000/– अर्थात् कुल राशि रू० 4,83,77,000/– (चार करोड तिरासी लाख सतहत्तर हजार) रूपये मात्र के विरूद्ध रू॰ 3,62,82,750/– (तीन करोड़ बासठ लाख बेरासी हजार सात सौ पचास) रूपये के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–215, दिनांक–11.07.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद में निम्नांकित बजट शीर्ष के सामने कॉलम–03 में अंकित राशि का आवंटन दिया ज़ाता हैः–

क्र॰ सं॰	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3
1.	मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116–सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 09–2425001080116 विस्तृत शीर्ष–31–सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2,41,88,500/–
2.	मांग संख्या–09 अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166–सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड़–09–4425001080166, विस्तृत शीर्ष–54–निवेश, विषय शीर्ष–01–निवेश।	1,20,94,250/–

		योग	रू॰ 3,62,82,750/– (तीन करोड़ बासठ लाख बेरासी हजार सात सौ पचास) रूपये

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं0–227/वि0, दिनांक–28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या–02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–235/वि0 दिनांक–01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उक्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–................................/पटना, दिनांक–.......................................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–48(आ०)/पटना, दिनांक–12/08/2025

प्रतिलिपिः– निकासी एवं वयन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.08.25

सरकार के अपर सचिव।